

CP-207

(132)

R-1179-11111

कमलकिशोर इंदु तनगर श्री सागर नगर
दुन्दारी वार्ड, सागर

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्रीमति सीनाबाई पतिन दशरथलाल केशरवानी

जवाहरगंज मोटर वाजार सागर

उत्तरदातागण

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म०प्र०-राजस्व संहिता के तहत

प्रकरण के तथय

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के यहाँ श्रीमान तहसीलदार सागर द्वारा संश्लेष पंजी क्रमांक 48 ल 09-010 में पारित आदेश दिनांक 30-10-09 के विरुद्ध फल की ली।

यह कि, अपील क्रमांक 2अ16, ल 11-12 में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महीदर सागर ने दिनांक 23-11-012 को अवम पैरवी में खारिज कर दिया, जिसकी पुनर्स्थापना हेतु दिनांक 27-11-12 को धारा 35 (3) म०प्र०-राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी पुनर्वाणी दिनांक 8-4-13 को नियत थी, परन्तु अचानक क्लड प्रेशर का जाने के कारण उपरोक्त अस्पताल चला गया, और दिन भर भरता रहने के कारण अनुपस्थिति में 8-4-13 को पुनः खारिज कर दिया गया।

यह कि, 26-4-13 को पुनः धारा 35 (3) का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो 7-5-13 को नियम विरुद्ध मानकर खारिज कर दिया, जबकि प्रकरण में निम्न न्यायालय का रिकार्ड भी जा गया था

यह कि, 16-5-13 को अपीलार्थी ने पुनर्स्थापना हेतु आदेश 9 नियम 9 धारा 141 म०प्र०संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु अधिरक्ष न्यायालय ने ली से खारिज कर दिया।

B.C.R.

13 MAR 2014

श्री अशोक शिवाजी प्रशासक
...सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत.
...
आयुक्त
आयुक्त सागर, सागर तहसील,
सागर (म.प्र.)

46
22-3-14

का.सं.अ.प.०/१५५
26-3-14

2-4-14

(Signature)

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1179-तीन/2014

जिला सागर

कमलकिशोर

विरुद्ध

सौनाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर के द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 48 सन 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	

(आर.के.जैन)
सदस्य